

चुनावी बॉण्ड योजना में संशोधन

प्रलिस के लयि:

चुनावी बॉण्ड, राजनीतिका अपराधीकरण, चुनावी बॉण्ड योजना, पंजीकृत राजनीतिक दल, जन प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951

मेन्स के लयि:

चुनावी बॉण्ड, इलेक्शन फंडगि ।

चर्चा में क्यौं?

कृछ राज्यों में चुनाव से कृछ हफते पहले केंद्र सरकार ने [चुनावी बॉण्ड योजना](#) में संशोधन कयि है ।

चुनावी बॉण्ड योजना:

■ चुनावी बॉण्ड:

- [चुनावी बॉण्ड](#) प्रॉमिसरी नोट्स के रुप में मुद्रा उपकरण होते हैं, जनिहें भारत में कंपनयिों और वयक्तयिों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से खरीदा जा सकता है तथा इसे कसिी राजनीतिक दल को दान कयि जा सकता है, जो बॉण्ड को भुना सकता है ।
- ये बॉण्ड केवल एक [पंजीकृत राजनीतिक दल](#) के नामति खाते में ही भुनाए जा सकते हैं ।
- कोई वयक्ति [अकेले या अन्य वयक्तयिों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है](#) ।

■ चुनावी बॉण्ड योजना:

- भारत में राजनीतिक फंडगि को पारदर्शी बनाने के लयि वर्ष 2018 में चुनावी बॉण्ड योजना शुरू की गई थी ।
- चुनावी बॉण्ड योजना के पीछे केंद्रीय वधिर, [भारत में चुनावी फंडगि में पारदर्शति लाना है](#) ।
- सरकार ने इस योजना को "केशलेस-डजिटिल अर्थव्यवस्था" की ओर बढ़ रहे देश में "चुनावी सुधार" के रूप में वर्णति कयि था ।

The lowdown on a vexed issue

What are electoral bonds?

Sold four times a year (in January, April, July and October), electoral bonds allow political parties to accept money from donors whose identities are kept anonymous. They are sold in multiples of ₹1,000, ₹10,000, ₹1 lakh, ₹10 lakh, and ₹1 crore. The scheme was first floated in 2017 and implemented in 2018

Who can sell them?

SBI is the sole authorised bank to sell and redeem the bonds. Customers of other banks can also purchase the bonds via different payment channels provided to them. However, a political party can only redeem the bond from one of the 29 authorized branches of the bank.

Which parties can receive donations via electoral bonds?

A political party must also have at least 1% vote share in most recent general elections or assembly elections to receive donations via electoral bonds.

What is the controversy around them?

The scheme has been challenged on the grounds that it lacks transparency. Those opposed to it have also asserted that a large chunk of the donations have gone to the BJP, the ruling party. In 2019-20, the BJP received over 75% of the electoral bonds, according to the Election Commission data. Critics have also argued that since the bonds are sold through a government-owned bank there is a possibility that the party in power can find out who is funding their political rivals

योजना में किये गए संशोधन:

- 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि:
 - इसमें एक नया प्रावधान शामिल किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के आम चुनावों वाले वर्ष में इसके लिये **पंद्रह दिनों** की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जाएगी।
 - वर्ष 2018 में जब चुनावी बॉण्ड योजना पेश की गई थी, तो ये बॉण्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिनों की अवधि के लिये उपलब्ध कराए गए थे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 - लोकसभा के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जानी थी।
- वैधता:
 - चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिये वैध होंगे और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किये जाने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - पात्र राजनीतिक दल द्वारा जमा किया गया चुनावी बॉण्ड उसके खाते में उसी दिने क्रेडिट हो जाएगा।
- पात्रता:
 - **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 29A के तहत केवल पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम-से-कम 1% वोट हासिल किये हैं, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।

चुनावी बॉण्ड के संबंध में चर्चाएँ:

- मूल विचार के विपरीत:
 - चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि यह अपने मूल विचार यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है।
 - उदाहरण के लिये आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की अज्ञातता केवल जनता और विपक्षी दलों तक ही सीमित होती है।

- **जबरन वसूली की संभावना:**
 - चूंकि इस तरह के बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, ऐसे में कई आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि कौन लोग वित्तपोषण प्रदान कर रहे हैं।
 - परिणामस्वरूप यह प्रकिया केवल तत्कालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुमति देती है और सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करती है।
- **लोकतंत्र के लिये चुनौती: वित्त अधिनियम 2017** में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के जरिये प्राप्त राशिका खुलासा करने से छूट दी है।
 - इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्तपोषण किया है।
 - हालांकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों के लिये अपना वोट डालते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।
- **‘जानने के अधिकार’ से समझौता: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय** ने यह स्वीकार किया है कि ‘जानने का अधिकार’ विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।
- **स्वतंत्र और नष्पक्ष चुनावों के खिलाफ:** चुनावी बॉण्ड नागरिकों को इस संदर्भ में कोई विवरण नहीं देते हैं।
 - उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुंच सकती है।
 - इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र व नष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकती है।
- **क्रोनी कैपिटलिज़्म:** चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले नगियों को चुनावों के लिये धन देने की अनुमति देती है जिससे क्रोनी कैपिटलिज़्म का मार्ग प्रशस्त होता है।
 - क्रोनी कैपिटलिज़्म एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता है।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता की वृद्धि के लिये साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी वनियमन की आवश्यकता है।
- संपूर्ण शासनतंत्र को अधिकि जवाबदेह और पारदर्शी बनाने हेतु मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना महत्त्वपूर्ण है।
- मतदाता जागरूकता अभियानों की मांग कर पर्याप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन पर अधिकि खर्च करते हैं या उन्हें रशिवत देते हैं तो लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ जाएगा।

स्रोत: द हद्दि

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/amendments-in-electoral-bond-scheme>